बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 437616 /

ग्रा0वि0-07(विविध)-05/2019

पटना, दिनांक- 21.08.19.

प्रेषक,

सी0 पी0 खंडूजा,
आयुक्त मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय:- **जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत जिला अंतर्गत सभी सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करते हुये उडाही/जीर्णोद्वार करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में जिलावार अलग-अलग पत्रों (दिनांक 13/14/16 अगस्त, 2019) के माध्यम से जिलों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है । संदर्भित पत्र की कंडिका (02) की उप कंडिका (I) एवं (II) में निर्देश है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग एक हेक्टेयर तक की सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार / उड़ाही कार्य मनरेगा अंतर्गत किया जाना है ।

इस संबंध में उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में मात्र एक एकड़ अथवा 0.40 हेक्टेयर तक की सतही क्षेत्रफल वाली सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार / उड़ाही कार्य मनरेगा अंतर्गत किया जाना है । इससे बड़ी सार्वजनिक जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार / उड़ाही कार्य जल संसाधन विभाग / कृषि विभाग की योजनाओं द्वारा किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में उपरोक्त अनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

21.08.19.

(सी0पी0 खण्डूजा)
आयुक्त, मनरेगा